रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5025] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2018/अग्रहायण 30, 1940
No. 5025] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2018/AGRAHAYANA 30, 1940

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2018

का.आ. 6265 (अ).—जबकि 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार 12,81,42,090 रूपए (बारह करोड़ इक्यासी लाख बयालीस हजार नब्बे रुपए मात्र) की राशि खादी और ग्रामोद्योग आयोग को खादी आश्रम, जीटी रोड, पानीपत (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त समिति कहा गया) द्वारा देय है।

और जबकि दिनांक 23 अप्रैल, 2018 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग नियमावली, 2006 के नियम 29 के उपनियम (1) के अंतर्गत उक्त समिति को यह निदेश देते हुए एक सूचना दी गई कि इस सूचना की प्राप्ति के तीस दिन के अन्दर आयोग को देय राशि का भुगतान करें ऐसा नहीं करने पर आयोग भू-राजस्व के बकायों के बराबर उतनी ही राशि वसूलने की कार्रवाई करेगा।

और जबकि उक्त समिति ने 12,81,42,090/- रुपए की राशि जो आयोग को देय है, को चुकाने के लिए अपनी देयता का प्रतिवाद किया है।

अब, इसलिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग, नियमावली, 2006 के नियम 30 के उपनियम (2) के साथ पठित खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 61) की धारा 19 ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा एक सदस्यीय अर्थात् श्री एल हौकिप, निदेशक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011 आयोग को उक्त समिति द्वारा देय राशियों के भुगतान संबंधी प्रश्नगत समस्या के निराकरण के लिए अधिकरण का गठन करती है।

यह अधिकरण सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन माह के अन्दर केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

उक्त अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

[फा.सं. सी-18/9/2018 केवीआई-II]

बंडला श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st December, 2018

S.O. 6265 (E).—Whereas, a sum of Rs 12,81,42,090 (Rupees twelve crore eighty one lakh forty two thousand and ninety only) as on the 31st March, 2018 is payable by the Khadi Ashram, G.T. Road, Panipat (hereinafter referred to as the said society) to the Khadi and Village Industries Commission.

And whereas, a notice was served to the said society under sub-rule (1) of rule 29 of the Khadi and Village Industries Commission Rules, 2006, dated the 23rd April, 2018 directing it to pay the sum due to the Commission within thirty days from the receipt of the notice failing which the Commission shall proceed to recover the same as arrears of land revenue;

And whereas, the said society has disputed its liability to pay the sum of Rs. 12,81,42,090/-, which is due to the Commission.

Now, therefore in exercise of the powers conferred by section 19 B of the Khadi and Village Industries Commission Act, 1956 (61 of 1956) read with sub-rule (2) of rule 30 of the Khadi and Village Industries Commission, Rules, 2006, the Central Government hereby constitutes a Tribunal consisting of one person, namely, Shri L. Haokip, Director, Ministry of Micro Small and Medium Enterprises, UdyogBhawan, New Delhi – 110011, to decide the question on the payment of dues by the said society to the Commission.

The Tribunal shall submit its report to the Central Government within three months from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

The headquarters of the said Tribunal shall be at New Delhi.

[F. No. C- 18/9/2018-KVI-II]

BANDLA SRINIVAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2018.12.29 13:33:54 +05'30'